न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेडा जिला–भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारीः–रजनी माधीवाल, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–294/2017 प्रार्थना पत्र

1. श्री श्रवणसिंह पिता जगन्नाथ सिंह राजपुत निवासी वड्डू तहसील करेड़ा

---प्रार्थीगण

वनाम

1. श्रीमती श्रवणी पति नन्दा गुर्जर निवासी वड्डू तह0 करेडा जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेड़ा

---विपक्षी

प्रार्थना पत्र बावत अंतर्गत धारा 251–ए राज.टिनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थितः–

1– श्री राजेश तिवाड़ी – अधिवक्ता–प्रार्थी

2– श्री – अधिवक्ता–विपक्षी

:: निर्णय ::

दिनांकः– 18.06.2018

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए रा0का0अधिनियम विरूद्ध विपक्षी पेश किया गया। प्रार्थना पत्र बाद जांच रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को उजरदारी पेश करने हेतु न्यायालय द्वारा सम्मन जारी किया गया। सम्मन बाद तामील शामिल मिसल है।

पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार करेड़ा द्वारा पेश प्रत्युत्तर अनुसार प्रार्थी जिस आ.नं. 1160/1 व 1161 में से रास्ता चाहता है । वह आराजी विक्रय से जरिये नामान्तकरण संख्या 1080 दिनांक 20.05.2017 से केता खातेदार कृष्णाकॅवर पति दुर्गपालसिंह राजपुत के नाम दर्ज हो गई। पत्रावली के अवलोकन तथा तहसीलदार करेड़ा के प्रत्युत्तर पर मैंने चिंतन एव मनन किया प्रार्थी द्वारा प्रतिवादी की जिस आराजी में से रास्ते हेतु भूमि चाही गई । प्रतिवादी की वह आराजी विक्रय होने तथा नये खातेदार के पक्षकार नहीं होने से प्रार्थनापत्र पोषणीय नहीं रहा। अतएव

आदेश

प्रार्थना पत्र व तहसीलदार करेड़ा द्वारा पेश मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते की भूमि विपक्षी द्वारा विक्रय करने तथा वर्तमान में केता खातेदार के नाम दर्ज होने से प्रार्थनापत्र पर कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं रहने से प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रजनी माधीवाल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner